ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3282/2003/बारां भेरीबाई बनाम उदीबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थिया।
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अप्रार्थी।

––

निर्णय

दिनांक 13–01–20.

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं0 621/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 23–06–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के न्यायालय में एक दावा पेश किया व दावे के साथ अधिनियम की धारा 212 का प्रा0 पत्र पेश किया। बाद सुनवाई उप जिला कलक्टर, मांगरोल ने अपने आदेश दिनांक 11–09–2002 द्वारा प्रा0 पत्र सारहीन होने से खारिज कर दिया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–06–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3282/2003/बारां भेरीबाई बनाम उदीबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया/वादी द्वारा प्रस्तुत धारा 212 के प्रा0 पत्र को खारिज किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने समवर्ती निष्कर्षो में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं0 1 उदी बाई पत्नि स्व0 श्री माधोजी अधिनियम, 1955 लागू होने के पूर्व से ही विवादित आराजी की खातेदार अंकित है। प्रार्थी/वादी के नाम ना तो पूर्व में न ही वर्तमान में विवादित आराजी अंकित रही है एवं न ही उसका कब्जा प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में आवश्यक तत्व यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू सिद्ध नही किए जाने के कारण वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किए गए है, जिसमें हम निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित एवं आवश्यक नहीं समझते है। निगरानी का क्षैत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि वे क्षैत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त हो। प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य हमारे समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	